संoसंo–अoसंoकo–09 (WVY) 20 / 2020...................../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डाo अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेo एवं हo)
पटना।

पटना, दिनांक–..............................

विषय – **बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत वक्फ स्टेट संo–957, जिला–समस्तीपुर की भूमि पर G+2 बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिo, पटना से प्राप्त Plinth Area Rate, 2020 एवं अनुमोदित वास्तुविदीय नक्शा के आधार पर संशोधित अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन ₹857.28 लाख (आठ करोड सन्तावन लाख अट्ठाईस हजार रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृत के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि ₹207.28 लाख(दो करोड़ सात लाख अट्ठाईस हजार) रूपये रिवॉलविंग फंड की राशि हेतु निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के अन्तर्गत वक्फ स्टेट संo–957 जिला–समस्तीपुर की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण के उद्देश्य मुस्लिम समाज में फैली अशिक्षा को दूर करना, शैक्षणिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिये कार्य करना, सामाजिक उत्थान और समाज में सह–अस्तित्व मानवता एवं नैतिकता की भावना जागृत करना है। प्राकृतिक आपदा आने पर जरूरमंदों की सहायता करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। इसकी आय से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, कल्याणकारी एवं परोपकारी कार्य आयोजित किये जाते है। जैसे विवाह का आयोजन, जलसा का आयोजन, रमजान के महीने में तरावीह का इंजाम एवं मीलादशरीफ आदि का आयोजन कराया जाता है। इसी उद्देश्य से वक्फ स्टेट संo–957 जिला–समस्तीपुर की भूमि पर G+2 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिo, पटना से प्राप्त Plinth Area Rate, 2020 एवं अनुमोदित वास्तुविदीय नक्शा के आधार पर संशोधित अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन ₹857.28 लाख (आठ करोड सन्तावन लाख अट्ठाईस हजार रूपये) की योजना है, जिससे इस संस्था की आय में वृद्धि होगी तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, कल्याणकारी एवं परोपकारी कार्य आयोजित करने मे सहूलियत होगी।

2. बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत वक्फ स्टेट संo–957, जिला–समस्तीपुर की भूमि पर G+2 बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिo, पटना से प्राप्त Plinth Area Rate, 2020 एवं अनुमोदित वास्तुविदीय नक्शा के आधार पर संशोधित अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन ₹857.28 लाख (आठ करोड सन्तावन लाख अट्ठाईस हजार रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में राशि ₹650.00 लाख सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के पीoएलo खाता में दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि **₹207.28 लाख (दो करोड़ सात लाख अट्ठाईस हजार) रूपये** रिवालविंग फंड की राशि की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि बजट मांग संo–30 अंतर्गत मुख्यशीर्ष–2250–अन्य सामाजिक सेवाएँ–उपमुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–0108–वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवॉलविंग फंड, विषयशीर्ष–31–05 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–30– 2250008000108 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से कोषागार विपत्र BTC-46 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में की जायेगी। उक्त राशि की निकासी कर "WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/o - BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA, का पीoएलo खाता संo–PTSPLA029, लेजर का नाम– Waqf Vikas Yojna। लेजर आईoडीo संख्या– 20958 में CFMS के माध्यम से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को अंतरित करेंगे। अंतरण के पश्चात CFMS की अंतरण प्रति वक्फ प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृoपृoउo

5. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।
6. स्वीकृत रिवॉलविंग फण्ड की राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–1203 दिनांक–14.08.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अन्यत्र व्यय नहीं किया जायेगा।
7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 (वि०) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989 वि०(2) दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।
10. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है जो इसके लिए प्राधिकृत हो।
11. योजना का क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
12. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–सं०सं०–अ०सं०क०–09 (WVY) 20/2020 ..../ **पटना, दिनांक ....**

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–सं०सं०–अ०सं०क०–09 (WVY) 20/2020 ..../ **पटना, दिनांक ....**

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–सं०सं०–अ०सं०क०–09 (WVY) 20/2020 ..../ **पटना, दिनांक ....**

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–सं०सं०–अ०सं०क०–09 (WVY) 20/2020 ..../ **पटना, दिनांक ....**

प्रतिलिपि– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–सं०सं०–अ०सं०क०–09 (WVY) 20/2020 ..../ **पटना, दिनांक ....**

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–सं०सं०–अ०सं०क०–09 (WVY) 20/2020 616 **/** **पटना, दिनांक** 28.12.2023

प्रतिलिपि– आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12

विशेष सचिव–सह–निदेशक